

प्रेस-विज्ञप्तिथाना – मुबारकपुरप्रेमी संग मिलकर खुद के पति की हत्या कराने वाली अभियुक्ता व अभियुक्त गिरफ्तार तथा पुलिस द्वारा आला कतल बरामद करते हुए हत्या का किया सफल अनावरण

दिनांक- 31.03.2021 को समय 01.45 AM पर वादिनी श्रीमती दुर्गावती पत्नी विशुनदेव प्रसाद निवासी ग्राम अमिलो भगतपुरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 30-03-2021 की रात्रि खाना खाकर मेरा पुत्र दिनेश अपनी पत्नि बीना के साथ छत पर सो रहा था कि रात्रि लगभग 12.30 बजे दिनेश की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गयी है। उसकी पत्नि बीना के दाहिना हाथ मे गम्भीर चोट है। पत्नि के कराहने की आवाज सुनकर हम लोगो को घटना की जानकारी हुई। कि उपरोक्त तथ्य के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 030सं0 – 68/2021 धारा 302,307 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा द्वारा की जा रही थी जिसके क्रम में –

घटना का अनावरण - प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा मय टीम के घटनास्थल का निरीक्षण एवम् आस-पास के लोगो से पूछ-ताछ से घटना में घायल मृतक दिनेश की पत्नी बीना की रह स्य मय चुप्पी एवम् एका-एक यह कहना की नकाबपोश तीन बदमाश आये थे और मार कर लूट-पाट कर भाग गये बीना से पूछ-ताछ में इसकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई एवम् मुखबीर खास व पारिवारिक जनो से पूछ –ताछ से यह बात प्रकाश में आया कि बीना का मधुर सम्बन्ध अपने चचेरे देवर से था जिससे मृतक दिनेश ने विरोध किया था इसी कारण दिनेश की पत्नी बीना और प्रेमी विपिन ने चापड़ से गला काट कर हत्या कर दिये और कोई इन पर शक न करे इस लिए बीना के दाहिने हाथ में उसी चापड़ से विपिन ने आपसी दोनो की रजामंदी से चोट बना लिए थे एवम् घर का सामान विखेर दिये थे जिससे यह प्रतीत हो कि चोरी लूट के लिए बाहर से बदमाश घर में घुसे थे और इन्होंने यह घटना कारित किया इस प्रकार घटना का सफल अनावरण किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 01.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा थाना स्थानीय पर टीम बनाकर उपरोक्त अपराध को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर पतारसी सुराग रसी करते हुए दविश दी जा रही थी कि मुखबीर खास आकर बताया कि साहब जो अमिलो भगतपुरा में हत्या हुआ था वह कोई और नही मृतक का चचेरा भाई व मृतक की पत्नी ही है जो रोडवेज चौराहे पर समौधी जाने वाले रोड पर कहीं जाने की फिराक मे साधन का इंतजार कर रहे हैं , अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर मैं प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम के मुखबीर के बताये हुए स्थान पर पहुँचा कि करीब 50 मीटर पहले ही मुखबीर खास ने अभियुक्त व अभियुक्ता की तरफ इशारा कर वहाँ से चला गया कि हम पुलिस वाले सिखलाये हुए तरीके से जैसे ही अभियुक्त व अभियुक्ता के पास पहुँचे कि वह दोनो हड़बड़ा कर भागने का प्रयास किये कि महिला कर्मचारी गण की मदद से अभियुक्ता को तथा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त को समय प्रातः 06.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। पूछ-ताछ एवम् बयान लेने पर अभियुक्त विपिन एवम् बीना ने घटना कारित करने की बात बताते हुए जूर्म स्वीकार किया एवम् अभियुक्त विपिन के निशादेही पर आला कतल रक्त रंजित चापड़ एवम् घटना के समय पहने हुए रक्त रंजित कपड़े अलग – अलग स्थानो से बरामद कराये बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त गणो को मा 0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त व अभियुक्ता दोनो ने संयुक्त रूप से अपना जूर्म स्वकार करते हुए बता रहे हैं कि साहब मैं व मेरी भाभी बीना आपस मे प्रेम करते हैं तथा काफी दिनों से हम दोनो के बीच अन्तरंग सम्बन्ध है। यह बात मेरे भाई दिनेश को पता चल गया कि लग रहा है कि बीना पेट से है , और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मेरे भाई दिनेश ने भाभी बीना से कहा अगर बच्चा रुका होगा तो उसे गिरा देना नही तो हम तुम्हे व तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे प्रेमी बिपिन को मार देंगे। उनके द्वारा बार- बार बीना भाभी को बच्चा गिराने के लिए दबाव बनाया जाता था इस बात को लेकर 3-4 दिन पहले दिनेश व मेरे बीच काफी झगड़ा विवाद हुआ था तथा मैं व बीना भाभी मिलकर दिनेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई बीना भाभी ने मुझे बड़ा चाकू लाने के लिए रुपये दिये और कहा कि एक बढ़िया बड़ा चाकू लाइए जिससे इसका काम तमाम कर दिया जाय। तो मैं दुकान से चाकू खरीदा और लाकर घर मे छुपाकर रख दिया योजना के मुताबिक दिनांक 30/31.03.2021 की रात को बीना भाभी ने मुझे मैसेज करके बताया कि दिनेश सो गया है आ जाओ , इस पर मैं चाकू लेकर छत के ऊपर गया जहा पर बीना भाभी व दिनेश सोये थे दिनेश गहरी निद में सोये थे बीना भाभी जगकर मेरा इंतजार कर रही थी मुझे देखकर बीना भाभी ने एक हाथ से दिनेश के सिने व दूसरे हाथ से उसके शस को पकड़ा फिर मैंने अपने हाथ में लिए बड़े चाकू से दिनेश के गर्दन पर जोर दार एक वार किया इस पर बीना भाभी ने उनका मुह बन्द कर दिया ताकि आवाज न निकले इसके बाद और एक बार मैंने दिनेश के गर्दन पर वार किया तो वह तड़फड़ाने लगा तथा थोड़ी देर बाद शांत हो गया जब हम दोनो को विश्वास हो गया कि अब वह मर गया है तो बीना भाभी ने कहा कि चाकू से मुझे भी चोट पहुँचा दो जिससे लोगो को शक ना हो सके इस पर मैंने भाभी के दाहिने बांह पर हल्का वार किया तो उसकी बांह कट गयी उसके बाद मैंने घटना को लूट पाट का रूप देने के लिए छत पर बने कमरे मे रखा बक्से को खोलकर उसमे रखे हुए कपड़ों को कमरे के अन्दर बिखेर दिया तथा छत से नीचे आकर भाभी को सीढ़ी के नीचे गलियारे मे बैठाकर दरवाजा खोलकर चापड़ लेकर वहाँ से छिपाने के लिए लोहिया गाँव के पोखरे के किनारे जलकुम्भी के ढेर मे छिपा दिया अभियुक्ता बीना से भी पूछताछ करने पर उसके द्वारा भी घटना में विपिन का साथ देना स्वीकार किया दोनो जूर्म स्वीकार करते हुए बार –बार गलती की माँफी गांग रहे है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0- 68/2021 धारा- 302/34 भादवि व 4/25 A Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

बरामदगी –

1. 01क अदद हत्या में प्रयुक्त चापड़
2. 02 अदद मोबाइल एंड्रायड
3. अभियुक्त व अभियुक्ता के रक्त रंजीत कपड़े

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. विपिन पुत्र राजकुमार ग्राम- अमिलो भगतपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. बीना पत्नी स्व0 दिनेश ग्राम- अमिलो भगतपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. SHO अखिलेश कुमार मिश्र, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
2. व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
3. उ0नि0 कमल नयन दूबे, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
4. उ0नि0 राजकुमार सिंह, सर्विलांस मय टीम जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 संतोष कुमार, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
6. हे0का0 अम्बिका यादव, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
7. का0 दीपक कुमार यादव, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
8. म0का0 काजल सिंह, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
9. म0का0 राधा विश्वकर्मा, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़